जबलपुर | रविवार | 19 अप्रैल 2026 | वर्ष 77 | अंक 86 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं

5 ईरान युद्ध और भारत की गुप्त कूटनीति

6 एक दिल था सीने में...

7 ज्योतिषीय दूरदर्शन : एक विधा का सृजन और विनाश

9 होर्मुज में टोल-निजीकरण मंजूर नहीं

विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान रोकी

कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल भ्रूणहत्या के गुनहगार : मोदी

- प्रधानमंत्री ने देश को 30 मिनट तक संबोधित किया
- बिल में संशोधन नहीं होने पर मांगी माफी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की शाम 8.30 बजे महिला आरक्षण पर देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा, इस बिल में संशोधन नहीं हो पाया. मैं सभी माताओं-बहनों से माफी मांगता हूं.

उन्होंने कहा, मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है, जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है औ दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है. तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है.

पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूणहत्या के गुनहगार हैं. ये देश के संविधान के अपराधी हैं. नारी शक्ति के अपराधी हैं. जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी.

> **कांग्रेस परजीवी की तरह दूसरे दलों के सहारे जिंदा**
>
> पीएम ने कहा- कांग्रेस खुद ही कई राज्यों में अपना वजूद खो चुकी है. वह परजीवी की तरह दूसरे दलों के सहारे जिंदा है. वे यह भी नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े. इस बिल को रोककर उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र किया है. सभी विपक्ष इतने सालों से हर बार वही बहाने बनाते आए हैं. कोई न कोई पेंच फंसाकर महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते हैं. उन्होंने कहा- देश उनका पैटर्न समझ चुका है. इस बिल के विरोध की बढ़ी वजह है कि इन परिवारवादी पार्टियों का डर. इन्हें डर है कि महिला सशक्त हुई तो उनकी पार्टी खतरे में आ जाएगी. ये नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े.

संबोधन की मुख्य बातें

- **महिलाओं के सपने को कुचल दिया :** आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया.
- **विपक्ष ने मेजें थपथपाई :** कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है. शुक्रवार को देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. देश की नारी शक्ति देख रही थी. मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं. महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे.
- **नारी अपमान नहीं भूलती :** शुक्रवार को विपक्ष ने जो भी किया वह केवल टेबल पर थाप नहीं थी. वह नारी के स्वाभिमान पर उसके आत्म सम्मान पर चोट थी. और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती. इसलिए संसद में कांग्रेस के उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक, हर नारी के मन में हमेशा रहेगी. देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वह याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाईं थीं.
- **विपक्ष को उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी :** नारी शक्ति वंदन विधेयक का जिन लोगों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा कि ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. वे ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है. वह उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली-भांति जान चुकी है. महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर के विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी. इन दलों ने संविधान निर्माता की भावनाओं का भी अपमान किया है. और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वे बच नहीं पाएंगे.

राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन

कांग्रेस नेता का पुतला फूंका पोस्टर में लिखा 'धोखेबाज'

बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने के बाद देश की राजनीति गरमा गई है. भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया. कई वरिष्ठ भाजपा नेता और महिला सांसद समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर तक मार्च करते हुए पहुंचे.

इस प्रदर्शन में हेमा मालिनी और बांसुरी स्वराज समेत कई सांसद शामिल थीं. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस मार्च में मौजूद रहे. पार्टी ने सोशल मीडिया पर धोखेबाज लिखे पोस्टर साझा कर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि देश की आधी आबादी इसे कभी माफ नहीं करेगी.

भाजपा ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया. प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने काले झंडे दिखाए और माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. उनके हाथों में ऐसे पोस्टर थे, जिनमें विपक्ष पर 'नारी शक्ति' का अपमान करने के आरोप लगाए गए. इस प्रदर्शन में कमलजीत सहरावत, मंजू शर्मा, योगिता सिंह और लता गुप्ता जैसे नेता भी शामिल हुए. सभी ने एक सुर में विपक्ष को महिला विरोधी बताया और बिल का विरोध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मार्च में शामिल हुईं.

> **सोमवार को संसद बुलाइए, पुराना बिल लाइए**
>
>
>
> संविधान में संशोधन का बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया है. इसके अगले दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार को चुनौती दी है. प्रियंका ने कहा कि सरकार सोमवार को वह बिल लेकर आए, जिसे 2023 में सभी दलों ने समर्थन दिया था. संसद बुलाई जाए, हम सभी इसको समर्थन देंगे. प्रियंका ने भाजपा नीत एनडीए पर आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वोटरों को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह महिला विरोधी हैं. जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है.

एक नजर में

चारधाम यात्रा के लिए 18 लाख ने करवाया रजिस्ट्रेशन

देहरादून. उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू चुकी है. ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 बसों को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया. चारधाम के लिए अब तक 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. पिछले साल 23 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू हो चुके हैं. सबसे पहले मध्य प्रदेश (शहडोल) के 100 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया. ये सभी यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे. बता दें कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी. हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म के लोग दर्शन कर पाएंगे.

विदेश जाने आयकर मंजूरी प्रमाण पत्र होगा जरूरी

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही रिपोर्ट को शनिवार को फर्जी बताते हुए कहा कि बाहर जाने वाले हर भारतीयों को आयकर स्वीकृति प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है।मंत्रालय ने स्पष्ट किया, आयकर की धारा 230 के तहत, कर मंजूरी प्रमाणपत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं हैं.इनकी आवश्यकता केवल कुछ कानूनी परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होती है.वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2024 के वित्त अधिनियम के अंतर्गत संशोधनों के बाद भी, देश से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर सुकृति प्रमाण पत्र संबंधी यह नियम 2003 से अपरिवर्तित है.

होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर की फायरिंग

- ईरानी गनबोट्स ने चेतावनी दिए बिना किया हमला
- विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को किया तलब

तेहरान/नई दिल्ली, 18 अप्रैल. होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे दो व्यापारी जहाजों पर शनिवार दोपहर गोलीबारी हुई. इसमें एक भारतीय झंडे वाला तेल जहाज भी शामिल था. यह जानकारी कई समुद्री और सुरक्षा सूत्रों ने दी है, जिसे शिपिंग मॉनिटर टैंकर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया.

ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड की दो गनबोट्स टैंकर्स के पास आईं और बिना रेडियो चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद दोनों जहाज स्ट्रेट पार किए बिना ही लौट गए. हालांकि जहाज और उसके क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जहाज में लगभग 20 लाख बैरल इराकी तेल था. इजरायल और लेबनान के बीच 10 दिनों के सीजफायर का ऐलान होने के बावजूद हमले नहीं रुके हैं. इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में हवाई और जमीनी हमले किए हैं.

> **भारत ने सख्त रुख दिखाया**
>
> इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथअली को तलब किया और इस घटना पर औपचारिक विरोध दर्ज कराया.

> **24 घंटे के भीतर फिर ईरान ने बंद किया होर्मुज**
>
> ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ये फैसला लिया है. ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पहले जैसा हो गया है. उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज से आवागमन ब्लॉक करना जारी रखेगा.

371 जायरीनों ने मक्का के लिए भरी उड़ान

नई दिल्ली. भारत से वार्षिक हज यात्रा 2026 का आधिकारिक आगाज हो चुका है. शनिवार को दिल्ली के इदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 371 जायरीनों का पहला जत्था पवित्र शहर मक्का के लिए रवाना हुआ. इस प्रस्थान के साथ ही देश भर से हज यात्रियों के सऊदी अरब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. दिल्ली हज कमेटी ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया. कमेटी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जायरीनों के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया. सरकार ने इस बार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए हैं. यात्रियों को स्मार्ट वॉच दी गई हैं, जो ट्रैकिंग और आपातकालीन स्थिति में मदद करेंगी.

रेलवे-इंश्योरेंस समेत 5 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट

24 815 करोड़ के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर

12 980 करोड़ के 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शनिवार को 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी.

कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब यह बढ़कर 58 से 60 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. रेलवे के 24,815 करोड़ रुपए के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स में गाजियाबाद-सीतापुर और राजमुंदरी-विशाखापट्टनम रूट शामिल हैं. केंद्र सरकार ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए 12,980 करोड़ रुपए के 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी दी है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 83,977 करोड़ रुपए का ऐलान किया है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय रेलवे के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है.

> इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 24,815 करोड़ है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुल 15 जिलों को कवर किया जाएगा, जिससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. इन परियोजनाओं से रेलवे की लाइन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी. साथ ही, भीड़भाड़ कम होगी और सेवाओं की विश्वसनीयता में सुधार आएगा.

जबरन धर्म बदलवाने पर होगी आजीवन कैद

- छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमेन डेका ने दी मंजूरी
- छग धर्म स्वातंर्त्य विधेयक-2026 अब बना कानून

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. छत्तीसगढ़ में गलत तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंर्त्य विधेयक-2026 अब कानून बन गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुए इस अधिनियम का उद्देश्य प्रलोभन, भय या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाना है.

नए नियमों के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म बदलने वालों को जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. इस कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है. विशेष रूप से महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के मामलों में सज अधिक सख्त है.

अधिनियम में धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. उन्हें हर साल विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

> **धर्म बदलने वाले को देना होगा आवेदन**
>
> नए कानून में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है. धर्म बदलने वाले शख्स को अब प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा. फिर जांच के बाद प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा.

> **क्या है मकसद?**
>
> राज्यपाल रमेन डेका ने 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंर्त्य विधेयक-2026 पर हस्ताक्षर किए थे. अब इसको सरकारी गजट में छपने के बाद लागू कर दिया है. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 19 मार्च को इसे विधानसभा में पेश किया था, जहां चर्चा के बाद इसे पास कर दिया गया. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को कंट्रोल करना और लोगों की धार्मिक आजादी की रक्षा करना है.

खिलौने में बम लगाकर तीन राज्यों में करना चाहते थे धमाके

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है. ये चारों युवक खिलौने में बम लगाकर हमले की तैयारी में थे. राम मंदिर और संसद इनके निशाने पर थे.

बता दें कि ये आरोपी अलग-अलग राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से पकड़े गए हैं. पुलिस के बताया कि ये सभी युवक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित थे और नफरत करने के मकसद से काम कर रहे थे. इतना ही नहीं ये गजवा-ए-हिंद जैसे खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहे थे और इसके लिए दूसरों को भी उकसा रहे थे.

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी सोशल मीडिया के क्लोज्ड ग्रुप में जुड़े हुए थे, जहां आतंकी विचारधारा, जिहाद और हथियारों की बात होती थी. इन ग्रुप्स के जरिए ये लोग नए लोगों को जोड़ने और उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे. इनमें से दो आरोपी मिलकर एक रिमोट कंट्रोल आईईडी (बम) बनाने की तैयारी कर रहे थे.

विधेयक | दोनों दल इसे अपने-अपने तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं

दलों के बीच नैरेटिव युद्ध में फंसा महिलाओं का अधिकार

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली,18 अप्रैल. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और इससे जुड़ी जनगणना व परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रियाओं की भूलभुलैया में फंसा भारतीय महिलाओं का संसद में समान भागीदारी का सपना फिर से फाइलों में दबने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा नैरेटिव युद्ध छिड़ गया है. दोनों दल इसे अपने-अपने तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, महिला आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तकनीकी पेंच इस कानून को कम से कम 2029 के लोकसभा चुनावों तक के लिए टाल देगा. हालांकि विपक्ष ने इसे सरकार का चुनावी जुमला करार देते हुए सवाल उठाया है कि यदि सरकार की नीयत साफ थी, तो इसे तत्काल प्रभाव से पहले से पारित बिल को लागू करने में क्या बाधा थी? वहीं, सत्ता पक्ष का तर्क है कि परिसीमन के बिना सीटों का निर्धारण संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण और विवादास्पद हो सकता था. जानकार बता रहे हैं कि तर्क-वितर्क और आरोप-प्रत्यारोप के कारण हुई देरी ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर दिया है. ओबीसी कोटे के भीतर कोटा की मांग ने इस विमर्श को एक नई दिशा दे दी है. क्षेत्रीय दलों और विपक्षी गठबंधन ने इसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के हक की लड़ाई बनाकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है. दूसरी ओर, परिसीमन का मुद्दा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के क्षेत्रीय असंतुलन की पुरानी बहस को भी जीवित कर सकता है.

दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके सफल प्रयासों के बावजूद, परिसीमन के बाद उनकी संसदीय सीटों का प्रभाव कम हो सकता है. हालांकि बहस के दौरान सरकार की ओर से विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए तार्किक तथ्यों के आधार पर विपक्षी आरोपों को कुंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी विपक्षी तेवर से भ्रम कायम है.

> बहरहाल, उक्त विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार द्वारा लाया गया यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या बल के कारण गिर तो गया है, लेकिन इसके गर्भ से कई सवालों का जन्म भी हुआ है. लगभग बारह वर्षों में पहली बार सरकार को मिली चुनौती से जहां उसे आत्ममंथन करने का मौका मिला है. वहीं लगातार बिखरती विपक्षी एकता को एक बार फिर एकजुटता दिखाने का मौका दे दिया है.

राहुल पर एफआईआर मामले में कोर्ट ने अपना आदेश बदला

कहा- बिना नोटिस केस दर्ज करना ठीक नहीं

लखनऊ, 18 अप्रैल. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने संबंधी अपने ही आदेश को बदल दिया है. कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर संशोधित आदेश जारी किया.

शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने की जरूरत है? सभी पक्षों ने नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं बताई. इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया था. हालांकि, आदेश के टाइप होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने फैसले की फिर से समीक्षा की. पुराने प्रेसिडेंट केसों और कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि ऐसे मामलों में आरोपी को नोटिस जारी करना जरूरी है.

कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस दिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश उचित नहीं है. इसलिए कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को संशोधित कर दिया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय कर दी है. इस सुनवाई में राहुल गांधी या उनके वकील को नोटिस जारी करने और उनका पक्ष सुनने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.